

— / / 01 / / —

आपराधिक प्र.क.: 1118 / 2014

**न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)**  
**(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)**

आपराधिक प्र.क.: 1118 / 2014

संस्थित दि: 24 / 11 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

**विरुद्ध**

1. अरुण बिसेन पिता घनश्याम, उम्र 38 साल, जाति पंवार,  
निवासी वार्ड नं. 5 आदर्शनगर उकवा थाना रूपझर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. शरद क्षत्रिया पिता घासीराम, उम्र 37 साल, जाति गोंड,  
निवासी समनापुर थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपीगण

आरोपी अरुण बिसेन पूर्व से फरार।

आरोपी शरद की ओर से श्री दीपक पंचभावे अधिवक्ता।

**— :: उर्पापण — आदेश :: —**

**(आज दिनांक 12 / 12 / 2014 को उपार्पित किया गया)**

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया यशवंतीबाई ने दिनांक 17.07.2014 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 05.12.2007 से 17.07.2014 के मध्य तक शरद क्षत्रिया जाति गोंड निवासी समनापुर के द्वारा विवाह का झांसा देकर बलात्कार करते रहा, उसके शारीरिक संबंध बनाने से गर्भ धारण हुआ और उसका गर्भपात उकवा निवासी डॉ. अरुण बिसेन के क्लीनिक ले जाकर करवा दिया गया। रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर 376(2), 420, 313, 506, 34 भा.दं.

वि. का अपराध कायम किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 3(2)5 एट्रोसिटी एक्ट तथा मेडीकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3, 4, 5 का ईजाफा किया गया। जुमला जांच पर पाया गया कि आरोपी शरद क्षत्रिया के द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया गया, गर्भ धारण होने के जानकारी पर डरा-धमकाकर दवाई गोली खिलाया तथा डॉ.अरुण बिसेन से मिलकर गर्भपात भी कराया गया। आरोपियो का कृत्य अपराध धारा 376(2), 420, 313, 506, 34 भा.दं.वि. एवं 3(2)5 एट्रोसिटी एक्ट तथा मेडीकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3, 4, 5 का अपराध प्रमाणित पाया गया। आरोपी शरद क्षत्रिया एवं डॉ.अरुण बिसेन के द्वारा माननीय हाईकोर्ट जबलपुर से अग्रिम जमानत करा ली गई, किन्तु प्रकरण में जमानत पश्चात् एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(2)5 का ईजाफा किया गया, जो आरोपी अरुण बिसेन के विरुद्ध प्रमाणित है। आरोपी की तलाश पतासाजी की गई, किन्तु वह सकुनत से फरार है, जिसकी चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी लेकर धारा 299 जाफौ के तहत अनुमति प्राप्त कर फरारी इश्तहार जारी किया गया। अतः आरोपीगण के विरुद्ध पूर्णतया आरोप सिद्ध पाया गया। अभियोग पत्र क्रमांक 113/14 दिनांक 31.10.2014 को तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2), 420, 313, 506, 34 एवं 3, 4, 5 मेडीकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिगनेंसी एक्ट 1971 तथा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(05) आरोपीगण को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।

(07) प्रकरण में आरोपी शरद जमानत पर होने से उसे माननीय न्यायालय के समक्ष

— / / 03 / / —

आपराधिक प्र.क्र.: 1118 / 2014

आगामी दिनांक 24.12.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(08) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नायब नाजिर बैहर की अभिरक्षा में होने से उक्त सम्पत्ति आगामी तिथि के पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर  
टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)